फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 71/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/75)<br>**श्रीमती वालीबाई व अन्य बनाम तहसीलदार रेलमगरा व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.11.2023 | उपस्थिति दौराने बहसः-<br>1. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील अपीलार्थी<br>2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 व 3<br>3. श्री खेमराज डांगी, हरीश सेन - वकील प्रत्यर्थी-2<br>**अनवान**<br>1. **श्रीमती वालीबाई पत्नि श्री केसु नायक, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।**<br>2. **श्री कालूलाल पिता श्री केसु नायक, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।**<br>3. **श्री भगवानलाल पिता श्री केसु नायक, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।**<br>**-अपीलार्थी**<br>**बनाम**<br>1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।**<br>2. **आदिवासी भील समाज संस्थान, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।**<br>3. **सरकार जरिये जिला कलक्टर, राजसमंद।**<br>**-प्रत्यर्थी**<br>**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, राजसमंद के भूमि आंवटित किये जाने के आदेश क्रमांक प.12/3(ख)(09)राजस्व/2021/214-20 दिनांक 28.01.2022**<br><br>**<u>निर्णय</u>**<br><br>दिनांक 03.11.2023<br><br>उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, राजसमंद के भूमि आंवटित किये जाने के आदेश क्रमांक प.12/3(ख)(09)राजस्व/2021/214-20 दिनांक 28.01.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है।<br><br>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-<br><br>● उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा आदिवासी भील समाज संस्थान, रेलमगरा के छात्रावास एवं सामुदायिक भवन निर्माण के लिए राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के तहत 99 वर्ष की कालावधि के लिए लीज पर निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव मय अभिशंषा जिला कलक्टर, राजसमंद को प्रेषित की। जिस पर जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा स्थित आराजी संख्या 223 रकबा 1.2739 हैक्टेर किस्म उसर बिलानाम गै.का.काश्त भूमि में से 0.8094 हैक्टेयर भूमि को आदिवासी भील समाज संस्थान, रेलमगरा के छात्रावास एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु उक्त अधिनियम के तहत आदेश क्रमांक प.12/3(ख)(09)राजस्व/2021/214-20 दिनांक 28.01.2022 को आवंटित की।<br><br>जिला कलक्टर, राजसमन्द के उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर एवं मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के प्रस्तुत की गई, जिस आपत्ति रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.11.2023 को सुनी गई। अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 71/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/75)<br>**श्रीमती वालीबाई व अन्य बनाम तहसीलदार रेलमगरा व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

बहस भी प्रस्तुत की गई।

**विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है** कि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा करीब 50-60 वर्षों से चला आ रहा है फिर भी रेस्पोडेंट ने तथ्यों का छिपाते हुए उक्त आराजी का गलत रूप से आवंटन करवा लिया। उक्त भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारी बाबत घोषणा का वाद भी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा के समक्ष पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। फिर भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन की अनुशंषा करते हुए आवंटन बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राजस्व कार्मिकों एवं अधिकारियों द्वारा कोई मौका देखे बिना एवं मौके स्थिति को देखकर रिपोर्ट प्रेषित कर दी। अपीलार्थी की कब्जेशुदा जमीन का आवंटन बिना अपीलार्थी का कब्जा हटाये या नियमन की कार्यवाही किए बिना आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। आरआरडी 1982 पेज 497 पर यह तय किया गया है कि जब तक आरक्षण की जाने वाली या आवंटित की जाने वाली भूमि पर किसी भी व्यक्ति का पुराना कब्जा हो तो उसके संबंध में नियमन की कार्यवाही किये बिना या अतिक्रमण हटाये बिना न तो विवादित भूमि का आरक्षण किया जा सकता है, न ही उसका आवंटन किया जा सकता है। इस कारण किया गया आवंटन निरस्तनीय है। अपीलार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है तथा उनके आजीविका का साधन एकमात्र यही जमीन है, परन्तु अधीनस्थ न्यायाल ने मौका देखे बिना केवल पटवारी हल्का व तहसीलदार की गलत रिपोर्ट पर जो आदेश दिया है, बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। कथित जमीन के संबंध में अपीलार्थी का अतिक्रमण होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है क्योंकि धारा-91 की कार्यवाही की अपील अति.जिला कलक्टर, राजसमन्द के यहां पेडिंग है तथा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद भी चल रहा है, जिसे नजरअंदाज किया गया। उक्त आदेश से अपीलार्थी के हक व अधिकार स्पष्ट रूप से प्रभावित होते है, जिससे उसे अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे यह अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के पेश है। उक्त आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किये जाने से उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी ससमय नहीं होने से जानकारी प्राप्त होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाकर कथित भूमि पुनः बिलानाम सरकार दज्र कराई जाने का आदेश प्रदान कराया जायें।

**अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 द्वारा कथन किया गया कि** उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिससे उसे यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। आंवटित आराजी अपीलार्थी की खातेदारी भूमि नहीं है, जिससे उसके कोई हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी का आरम्भ से थी अतः प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और समक्ष स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी अपने आपको अतिक्रमी बताता है इस संबंध में आपत्ति है कि विभिन्न न्यायालयों ने यह माना कि अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है और राजकीय भूमि पर किये अतिक्रमण होने पर भी उस भूमि का अनाधिवासित भूमि माना जाता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

**प्रत्यर्थी-1 व 3 की और से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और समक्ष स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

**हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 71/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/75)<br>**श्रीमती वालीबाई व अन्य बनाम तहसीलदार रेलमगरा व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।**

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक प.12/3(ख)(09)राजस्व/2021/214-20 दिनांक 28.01.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। इस प्रकरण में हम सर्वप्रथम इस अपील के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किया जाना उचित समझते है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। उक्त प्रकरण में इस निर्णय में अनुवर्ती अनुच्छेद में किये गये वर्णन अनुसार अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति जाहिर नहीं होता है और उसके कोई वेधानिक अधिकार प्रकट नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार्य योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त अपील मयाद बाधित भी है, जिस हेतु प्रस्तुत कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं होने से इस बिन्दु पर भी अपील खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। फिस भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि सयुंक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा पत्राक 2(133)राज-3/21 दिनांक 27.01.2022 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति उपरान्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प.12/3(ख)(09)राजस्व/2021/214-20 दिनांक 28.01.2022 से आंवटित की गयी। इस न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का विधि की रोशनी में सम्यक परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किए गए है, जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता हो कि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का पिछले 50-60 वर्षो से निरन्तर कब्जाकाश्त उपलब्ध हो। बिना नियमित कब्जे के अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया आलोच्य प्रार्थना पत्र बलहीन होना प्रकट होता है। अपीलार्थी ने आलोच्य आवंटन को मात्र कब्जे के बिन्दु के आधार पर निरस्त कराने की प्रार्थना की है। जबकि अविधिक आवंटन जैसे कि तथ्यों को छिपाना, भूमिहीन का तथ्य व धोखे से आवंटन करवाये जाने बाबत तथ्यों का समावेश प्रार्थना पत्र/अपील में नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी पर पिछले 50-60 वर्षो से निरन्तर

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज<br>अपील संख्या 71/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/75)<br>**श्रीमती वालीबाई व अन्य बनाम तहसीलदार रेलमगरा व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कब्जे के तौर पर किसी प्रकार की साक्ष्य अपीलार्थी ने पेश नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा सिर्फ कुछ वर्षों के कब्जे के संबंध में जारी नोटिस धारा-91 की प्रतियां पेश की। आर.आर. टी-2009(1) पेज-220, आर.आर.टी.-2009(2) पेज-1299 में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि "land in possession of Tresspasser can not be treated as occupied land" और हमारा विनम्र मत है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के बावजुद उक्त भूमि को अनाधिवासित भूमि माना जाना चाहिए और हमारे इस मत की पुष्टि उक्त न्यायिक दृष्टांत करते है। हम यहां अंकित करना चाहते है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह प्रकट करता है कि आवंटित आराजी कभी उनके या उनके परिवार के अन्य सदस्य के नाम रही हो और न ही राजस्व अभिलेख से यह प्रकट होता है। उपरोक्त तथ्य अपीलार्थी की राजकीय भूमि पर अवैध कब्जे की मशां का प्रकट करता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5(44) के अनुसार महज एक अतिक्रमी की है, जिससे कोई वैधानिक अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होते है। आर.बी. जे. 2017 पेज 167 में प्रकट किये गये अभिमत "Illegal possession on Govt. Agricultural Land is no possession in the eye by Law" से भी हम पूर्णतया सहमत है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ना ही आवंटन उपरान्त आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।<br><br>**परिणामतः प्रस्तुत अपील मयाद बाधित होने, व्यथित पक्षकार नहीं होने से एवं गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द का अपीलाधीन आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है।**<br><br>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।<br><br>(महावीर खराड़ी)<br>R.A.S.<br>अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर | |